

प्रेसनोट दिनांक 27.07.2021

1. दिनांक 26.07.21 को वादी श्री कपिल किशोर पाण्डेय पुत्र ओम प्रकाश पाण्डेय, माननीय राज्य सूचना आयुक्त उ०प्र० के चालक द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन सं० यू०पी० 42 एटी 7358 का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी के वाहन में टक्कर मार कर क्षतिग्रस्त कर देना जिसके संबंध में थाना को०नगर में मु०अ०सं० 480/21 धारा 279,427 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 26.07.21 को वादी उ०नि० श्री रजत पाण्डेय थाना कैण्ट अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि मनोज कुमार गोस्वामी पुत्र रामकल्प नि० दशरथपुर थाना को०बीकापुर अयोध्या गिर० अभि० के कब्जे से एक अदद नाजायज चाकू बरामद होना जिसके संबंध में थाना कैण्ट में मु०अ०सं० 292/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 26.07.21 को वादी उ०नि० श्री रजनीश कुमार पाण्डेय थाना को०अयोध्या अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सरयू प्रसाद पुत्र दुखहरन नि० महादेवा विशेषसरगंज बाजार थाना दुबौलिया बस्ती गिर० अभि० के कब्जे से 10 ली० कच्ची शराब नाजायज बरामद होना जिसके संबंध में थाना को०अयोध्या में मु०अ०सं० 378/21 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 26.07.21 को वादी उ०नि० श्री मनीष कुमार थाना रा०ज०भूमि अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अर्जुन पुत्र राधेश्याम नि० मीरापुर बुलन्दी थाना रा०ज०भू० अयोध्या गिर० अभि० के कब्जे से 10 ली० कच्ची शराब नाजायज बरामद होना जिसके संबंध में थाना रा०ज०भू० में मु०अ०सं० 54/21 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 26.07.21 को वादी उ०नि० श्री रामचन्द्र मौर्य थाना पूराकलन्दर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सतगुरु सरन पुत्र सव० हंसराज नि० रंजना थाना पूराकलन्दर अयोध्या गिर० अभि० के कब्जे से 10 ली० कच्ची शराब नाजायज बरामद होना जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु०अ०सं० 314/21 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
6. दिनांक 26.07.21 को वादी श्री अरविन्द प्रजापति पुत्र राधेश्याम प्रजापति नि० दोस्तपुर थाना पूराकलन्दर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि रघुनाथ सेन पुत्र जगदम्बा नि० दोस्तपुर पूराकलन्दर अयोध्या आदि 02 नफर अभि०गणों द्वारा बच्चों की बात को लेकर गाली व जानमाल की धमकी देते हुए मारना पीटना जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु०अ०सं० 315/21 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
7. दिनांक 26.07.21 को वादी उ०नि० श्री विकास कुमार थाना पूराकलन्दर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सुग्रीव पुत्र बुद्धू नि० सरियावां थाना पूराकलन्दर अयोध्या गिर० अभि० के कब्जे से 15 ली० कच्ची शराब नाजायज बरामद होना जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु०अ०सं० 316/21 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
8. दिनांक 26.07.21 को वादी उ०नि० श्री विनय कुमार यादव थाना पूराकलन्दर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि रामकल्प पुत्र रामसुचित नि० सरियावां थाना पूराकलन्दर अयोध्या गिर० अभि० के कब्जे से 10 ली० कच्ची शराब नाजायज बरामद होना जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु०अ०सं० 318/21 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
9. दिनांक 26.07.21 को वादी उ०नि० श्री विनय कुमार यादव थाना पूराकलन्दर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सोहन चौहान पुत्र रामतीरथ नि० बाबा का पुरवा बरखा थाना पूराकलन्दर अयोध्या गिर० अभि० के कब्जे से 20 ली० कच्ची शराब नाजायज बरामद होना जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु०अ०सं० 320/21 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
10. दिनांक 26.07.21 को वादी हे०का यशवन्त सिंह थाना पूराकलन्दर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अंकित गौड पुत्र बडकऊ नि० मउलारा थाना इनायतनगर अयोध्या गिर० अभि० के कब्जे से 10 ली० कच्ची शराब नाजायज बरामद होना जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु०अ०सं० 321/21 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।

11. दिनांक 26.07.21 को वादी हे0का यशवन्त सिंह थाना पूराकलन्दर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि लक्ष्मण पुत्र उरौली नि0 खरेडऊ थाना पूराकलन्दर अयोध्या गिर0 अभि0 के कब्जे से 10 ली0 कच्ची शराब नाजायज बरामद होना जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु0अ0सं0 322/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
12. दिनांक 26.07.21 को वादी हे0का यशवन्त सिंह थाना पूराकलन्दर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि हरिराम पुत्र हृदयराम नि0 नउआ का परवा थाना पूराकलन्दर अयोध्या गिर0 अभि0 के कब्जे से 10 ली0 कच्ची शराब नाजायज बरामद होना जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु0अ0सं0 323/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
13. दिनांक 26.07.21 को वादी का0 अंकित पाण्डेय थाना गोसाईगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि संदीप कुमार पुत्र रामजियावन नि0 रामापुर सरैया थाना गोसाईगंज अयोध्या गिर0 अभि0 के कब्जे से 10 ली0 कच्ची शराब नाजायज बरामद होना जिसके संबंध में थाना गोसाईगंज में मु0अ0सं0 216/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
14. दिनांक 26.07.21 को वादी उ0नि0 श्री रामखेलाडी थाना पटरंगा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि रमेश पुत्र रामप्रसाद नि0 मैरामऊ थाना पटरंगा गिर0 अभि0 के कब्जे से 10 ली0 कच्ची शराब नाजायज बरामद होना जिसके संबंध में थाना पटरंगा में मु0अ0सं0 161/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
15. दिनांक 26.07.21 को वादी उ0नि0 श्री विजय कुमार यादव थाना पटरंगा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि समईलाल पुत्र रामसजीवन नि0 पासिन का पुरवा मजरे खण्डपिपरा थाना पटरंगा अयोध्या गिर0 अभि0 के कब्जे से 10 ली0 कच्ची शराब नाजायज बरामद होना जिसके संबंध में थाना पटरंगा में मु0अ0सं0 162/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।